



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181184

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8198 वर्ष 2026

असलम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : ऋषि कुमार प्रजापति, वीरेंद्र कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रशांत जी पांडे

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 593 सन् 2025, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी आई.पी.सी., थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में इस प्रार्थना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अत्यधिक विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों ने इस न्यायालय के समक्ष **आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 1343 सन् 2026** में प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें प्रारंभ में दिनांक 09.03.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की थी। उक्त रिट याचिका को बाद में दिनांक 23.07.2026 के आदेश द्वारा वापस लिए जाने के रूप में निरस्त कर दिया गया तथा उचित उपचार प्राप्त करने हेतु उचित न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके पश्चात ही आवेदक ने अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया, जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार आवेदक ने वर्तमान आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस बीच आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक से किसी अभिरक्षा में पूछताछ अथवा किसी बरामदगी की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों ने एक भाई के हिस्से को छिपाकर अपने नाम दाखिल-खारिज करा लिए और तत्पश्चात उक्त संपत्ति को बेच दिया। अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने इस तथ्य को छिपाया कि मृतक मंजूर हसन उर्फ मंजूरा के पांच पुत्र थे और राजस्व अभिलेखों में केवल चार पुत्रों के नाम दाखिल-खारिज कराए गए। आवेदक, यद्यपि विवादित संपत्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के संबंध में उक्त दाखिल-खारिज का प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं है, तथापि उक्त कूटरचना में संलिप्त है और उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचारणीय नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त इंगित नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय मंजूर हसन उर्फ मंजूरा की संपत्ति के संबंध में विवाद है। आरोप यह है कि स्वर्गीय मंजूर हसन उर्फ मंजूरा के चार पुत्रों ने राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लिए और सूचनादाता के नाम को जानबूझकर छिपाया गया। आवेदक के संबंध में कहा गया है कि वह उन साक्षियों में से एक है, जिसका सूचनादाता द्वारा संस्थित वाद संख्या 374 सन् 2019 में प्रतिरक्षा साक्षी-5 (डीडब्ल्यू -5) के रूप में परीक्षण किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि तहसीलदार नकुड़ ने अभिनिर्धारित किया कि स्वर्गीय मंजूर हसन उर्फ मंजूरा के पांच पुत्र थे। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है। अपराध दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक अब किसी अभिरक्षा में पूछताछ के लिए अपेक्षित नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक- असलम आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

31 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।